# Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001

(Registration No-663/2003)

Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

**Shashank Shekhar Sinha**
**President**
**Mob. No.- 9334118192**

**Anil Kumar**
**General Secretary**
**Mob. No.- 9431409463**



**Vice President**
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

**Joint Secretary**
Subodh Kumar
7979919465

**Gopal Sharan**
8210342042

**Treasurer**
nil Kumar Tiwary
9431085120

**oint Treasurer**
Mona Jha
9430881025


Memo No 29 Date 14/02/2020

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।
अपर मुख्य सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

**विषयः– माह सितम्बर–अक्टूबर 2019 में पटना शहर के जल–जमाव हेतु उच्चस्तरीय जाँच दल के प्रतिवेदन पर तीन बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को निलंबित किये जाने की कार्रवाई को स्थगित करने के संबंध में।**

प्रसंगः– पटना के स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक–10.02.2020 को प्रकाशित समाचार

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक समाचार पत्र के माध्यम से बिहार प्रशासनिक सेवा के पटना नगर निगम के तीन अंचलों में पदस्थापित पदाधिकारियों को निलंबित किये जाने के निर्णय की जानकारी प्राप्त होने पर दिनांक–12.02.2020 को नूतन राजधानी अंचल, बांकीपुर अंचल एवं कंकड़बाग अंचल के कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संघ के पदाधिकारियों द्वारा वस्तुस्थिति की समीक्षा की गयी। उनके द्वारा लिखित रूप से अपना पक्ष भी रखा गया, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न है।

समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि:–

1. माह सितम्बर–अक्टूबर 2019 में पटना शहर के जल–जमाव अतिवृष्टि के कारण हुई है, जिसका सत्यापन दिनांक–27 सितम्बर से 05 अक्टूबर के वर्षापात प्रतिवेदन से किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट है कि अतिवृष्टि का अनुमान ससमय अंचल कार्यालयों को प्राप्त नहीं हुआ है। यह एक प्राकृतिक आपदा था।
2. पटना नगर निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष मानसून की तैयारी की जाती है, किन्तु इस वर्ष उक्त अवधि में पदस्थापित नगर आयुक्त, जिन्हें नगर प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था, उनकी कार्यप्रणाली के कारण मानसून के आलोक में कोई आवश्यक तैयारी नहीं की गयी थी।
3. उक्त अवधि में पुनपुन नदी एवं गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से बहुत उपर रहने के कारण वर्षा के पानी का पटना शहर से निकालने का कोई उपाय नहीं था। इसका सत्यापन जल संसाधन विभाग से कराया जा सकता है।
4. पटना नगर निगम के अंचलों में पदस्थापित पदाधिकारी नाला की सफाई तथा पानी को सम्प हाउस तक पहुँचाने के लिए जिम्मेवार थे। पत्र के साथ संलग्न नूतन

राजधानी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी एवं अन्य द्वारा समर्पित कागजात के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उनके क्षेत्र में नाला की सफाई ससमय करायी गयी थी।

5. यह सर्वविदित है कि आर. ब्लॉक से दीघा तक 06 लेन सड़क के निर्माण के कारण नाला का पानी अवरूद्ध हो गया था, जिसके लिए पथ निर्माण विभाग जिम्मेवार है न कि नूतन राजधानी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी।

6. इसी प्रकार आर.के ऐभन्यू एवं सैदपुर सम्प हाउस उक्त अवधि में बंद हो जाने के कारण बांकीपुर अंचल के पानी का निकासी नहीं हो पाया।

7. कंकड़बाग अंचल में जल–जमाव का मुख्य कारण जल्ला क्षेत्र से, पुनपुन नदी का जलस्तर अत्यधिक रहने के कारण, वापस कंकड़बाग में बहना रहा है। कंकड़बाग अंचल के टी.वी. टावर, एन.बी.सी.सी. तथा योगीपुर का सम्प हाउस उक्त अवधि में बंद हो गया था। इसके अतिरिक्त जीरो माईल से अनिसाबाद 06 लेन के सड़क के बगल से चढडा एण्ड चढडा कंपनी द्वारा अर्धनिर्मित निर्माण भी बैक वाटरफ्लो के लिए सीधे रूप से जिम्मेवार है।

8. नाला की सफाई के लिए क्रमशः अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी के अतिरिक्त निगम मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारी तथा अंचल स्तर पर कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, सिटी मैनेजर, मुख्य सफाई निरीक्षक सीधे रूप से जिम्मेवार होते हैं, किन्तु केवल गैर–तकनीकी पदाधिकारी, जो बिहार प्रशासनिक सेवा के हैं, उन्हें निलंबित करने का निर्णय समाचार पत्र के माध्यम से प्राप्त हुआ है। यह आश्चर्यजनक है।

9. सामचार पत्रों के माध्यम से यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि जल–जमाव का मुख्य कारण भारी जलावृष्टि से निपटने हेतु आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं संसाधन का गंभीर अभाव पाया गया है। ऐसी परिस्थिति में केवल जल–जमाव के लिए कार्यपालक पदाधिकारी को जिम्मेवार ठहराना यथोचित नहीं है।

10. यह सभी को ज्ञात है कि पटना शहर का पानी बादशाही पइन के माध्यम से निकलता है, जो जल संसाधन विभाग के अधीन है। आकड़ों की जाँच करने पर यह पता किया जा सकता है कि बादशाही नाला का उड़ाही नहीं होने तथा उसका अधिकांश भाग अतिक्रमित होने के कारण किस प्रकार से जल–जमाव होता है।

11. पटना शहर में कार्यरत अन्य एजेंसियों यथा– गेल इत्यादि के कारण भी विभिन्न नालों का पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न हुआ है।

12. उच्चस्तरीय जाँच दल द्वारा किसी भी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी को लिखित रूप से अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है।

13. बिहार प्रशासनिक सेवा के इतने वरीय पदाधिकारी को, उनका पक्ष सुने बिना तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में निलंबन के बिन्दु पर पारित आदेश को दरकिनार करते हुए, बिना स्पष्टीकरण प्राप्त किये निलंबित करने का निर्णय उचित नहीं है।

14. अतः बिहार एडमिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन सर्वसम्मति से यह माँग करता है कि:–

(क) सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय जाँच दल के प्रतिवेदन में की गयी अनुशंसा की पुर्नसमीक्षा करते हुए पटना में जल–जमाव के जिम्मेवारी निर्धारण के बिन्दु पर पुनर्विचार किया जाय।

(ख) बिहार प्रशासनिक सेवा के तीनों पदाधिकारी श्री शैलेश कुमार, श्री विरेन्द्र कुमार तरूण तथा श्रीमती पूनम कुमारी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करने के पूर्व तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आलोक में उन्हें अपना पक्ष रखने का समुचित मौका दिया जाय।

(ग) पटना में जल–जमाव के कारणों की जाँच हेतु न्यायिक जाँच कराने का आदेश दिया जाय।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(अनिल कुमार)